संख्या : 58/2015/997/छप्पन-2015-64/2013

प्रेषक,

एस0के0 रघुवंशी,

सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

नागरिक उड्डयन,

उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 15 जुलाई, 2015

विषय :नये क्रय किये जा रहे वायुयान सुपर किंग एयर-बी-250 पर (तीन) 03 अभियन्ताओं को यू0एस0ए0 में प्रशिक्षण दिये जाने हेतु विदेश यात्रा की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या : 313/ना0उ0वि0/ई0एन0जी0/पी-4/2015, दिनांक 17-6-2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नये क्रय किये जा रहे वायुयान सुपर किंग एयर-बी-250 (माडल बी-200 जी0टी0) पर 03 अभियन्ताओं को (यात्रा दिवसों को सम्मिलित करते हुए) निर्माता कम्पनी की फैसिलिटी मैसर्स बीचक्राफ्ट टेक्सट्रान एविएशन विचिटा, कन्सास, यू0एस0ए0 में निम्नानुसार अंकित तिथियों में प्रशिक्षण दिया जाना है :-

क्र0	अभियंता	प्रशिक्षण अवधि	प्रशिक्षण स्थान
1	श्री हरजीत सिंह, वायुयान अनुरक्षण अभियंता	25 जुलाई, 2015 से 16 अगस्त, 2015	विचिटा, कन्सास, यू0एस0ए0
2	श्री मोती राय, वायुयान अनुरक्षण अभियंता	28 नबम्वर, 2015 से 20 दिसम्बर, 2015	
3	श्री कन्हैया लाल गुप्ता, वायुयान अनुरक्षण अभियंता, एवियानिक्स	08 अगस्त, 2015 से 16 अगस्त, 2015	

-----2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उक्तानुसार 03 अभियन्ताओं कों तीन स्लाटों में प्रशिक्षण दिये जाने के लिए राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में विदेश यात्रा की स्वीकृति निम्नांकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं :-

(1) उपर्युक्त विदेश प्रशिक्षण की अवधि में श्री हरजीत सिंह, श्री मोती राय एवं श्री के0एल0 गुप्ता को वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2 भाग-दो से चार के मूल नियम 9(6बी)(1) के अन्तर्गत ड्यूटी पर माना जायेगा तथा उक्त अवधि में उन्हें मूल नियम-20 के अन्तर्गत वही वेतन व भत्ता देय होगा, जो उन्हें अन्यथा मिलता, यदि उन्हें विदेश प्रशिक्षण आदि के लिये न भेजा जाता।

(2) प्रशिक्षण से पूर्व अथवा बाद में सम्बन्धित अधिकारियों को कोई कार्य भार ग्रहण काल नहीं दिया जायेगा, परन्तु विदेश में गन्तव्य स्थान पर जाने, वहां से भारत वापस लौटने में व्यतीत हुआ उचित समय प्रशिक्षण/विदेश यात्रा काल का अंश माना जायेगा।

(3) इंगित अभियन्ताओं को भारत से यू0एस0ए0 एवं भारत की वापसी की हवाई यात्रायें नियमानुसार उन्हें अनुमन्य श्रेणी में करनी होगी और उन्हें वही यात्रा भत्ता अनुमन्य होगा, जो भारत सरकार के समान वेतन पाने वाले अधिकारियों को समान परिस्थितियों में भारत सरकार के नियमों एवं आदेशों के अधीन अनुमन्य है।

(4) इंगित अभियन्ताओं को अपनी तैनाती के स्थान से भारत में हवाई अड्डे तक जाने तथा वापसी की यात्रा में भारत के हवाई अड्डे से अपनी तैनाती के स्थान तक के लिए की गयी यात्राओं के सम्बन्ध में उन पर लागू होने वाले नियमों के अधीन सामान्य शर्तों एवं दरों पर ग्राह्य यात्रा भत्ता देय होगा।

(5) विदेश में किये गये अवस्थान (हाल्ट) और वहां की यात्राओं के लिए उन्हें दैनिक भत्ता/यात्रा भत्ता एवं होटल किराया उन दरों पर देय होगा, जिन दरों पर भारत सरकार के समान वेतन पाने वाले अधिकारियों को समान परिस्थितियों में भारत सरकार के नियमों/आदेशों के अधीन अनुमन्य है।

(6) विदेश यात्रा हेतु स्वीकृत धनराशि का समायोजन वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए गये विदेश यात्राओं से सम्बन्धित शासनादेशों के तहत किया जायेगा। आहरित धनराशि के अनियमितता के लिए आहरण एवं वितरण अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

(7) विदेश यात्राओं/फर्म को भुगतान की गई धनराशि एवं स्वीकृत धनराशि के समायोजन का प्रमाण-पत्र शासन को भी प्रेषित किया जाय।

----3

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- उक्त विदेश यात्रा पर संनिहित व्यय की स्वीकृति पृथक से जारी की जा रही है।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या : जी-1-362/दस-2015, दिनांक 03 जुलाई, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(एस0के0 रघुवंशी)

सचिव।

संख्या : 58/2015/997(1)/छप्पन-2015-तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।

2- महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठा तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।

3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

4- वित्त (सामान्य) अनुभाग-1/2, वित्त (लेखा) अनुभाग-1

5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7

6- सचिव, भारत सरकार, नागर विमानन मंत्रालयण्/इकोनॉमिक अफेयर्स, मंत्रालय, नई दिल्ली।

7- सम्बन्धित अभियन्तागण।

8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कृष्ण चन्द्र राय शर्मा)

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।